

ORIGINAL

संख्या- 1146 /15-7- 03 -16: 109 / 2003

प्रति,

**श्रीम. प्रमोद प्रसाद
श्रीम. प्रमोद प्रसाद
श्रीम. प्रमोद प्रसाद ।**

सेवा में,

**श्रीम.
श्रीम. प्रमोद प्रसाद
श्रीम. प्रमोद प्रसाद श्रीम. प्रमोद प्रसाद
श्रीम. प्रमोद प्रसाद श्रीम. प्रमोद प्रसाद ।**

शिक्षा १७१ अनुभाग

लखनऊ: दिनांक २१ जून, २००३

विषय:-

श्रीमती सविता रानी केसरणी, श्रीमती सविता रानी, काशी, को श्रीमती सविता रानी केसरणी के संवत् २००३ अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए गए हैं ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निवेदन हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **श्रीमती सविता रानी केसरणी** नई दिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- १। विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- २। विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।।
- ३। विद्यालय में कम से कम १० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०१० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यार्थियों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- ४। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इन्सामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से नए केन्द्रीय परिषदों की संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०१० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

2021/6/21 11:33

Scanned by CamScanner

5. संस्था के शैक्षिक एवं शिष्टाचार कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असावधानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है संस्था पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

15
श्री प्रकाश मुखर्जी
मुख्य अधिकारी

पुस्तकालय विभागांक तद्विषय

- पुस्तकालय निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- जिला निदेशक, उत्तर प्रदेश।
 - 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बनारस।
 - 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बनारस।
 - 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 5- प्रबंधक, **श्री प्रकाश मुखर्जी कानून, आचार्यक, बनारस।**
 - 6- गार्ड बुक।

Prakash

अहम
श्री प्रकाश मुखर्जी
मुख्य अधिकारी

Prakash
Principal
कानून कक्षा, बसु/179, And Nagar Kanya
बनारस, बनारस / Mahawali Marg, Kanpur